संख्या 6/2022/149146/2022

प्रेषक :

बी0 एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2022

विषय: सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-18 तृतीय वर्ष 2021-22 के आय-व में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 725/आई0सी0डी०पी०/मॉनी०सेल/लेखा, दिनांक 07.03.20213 का संदर्भ करें, जिसके द्वारा कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए वर्ष 2021-22कृत आय-प्राविधान के सापेक्ष एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) हेतु में रू0 2500.00 लाख तथा अंजी मद में रू0 1500.00 अर्थात् कुल रू0 4000.00 अनुरोध किया गया है।। 2 लाख का प्रस्तावित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या 18 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के मद में एयय हेतु प्राविधानित रू० 2500.00 लाख की वित्तीय सूचीकृति निम्न शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती है:

(1) प्रश्नगत योजना के दिशा-निर्देश एवं फडिंग पैटर्न के अनुसार देय कण अंधन एवं प्याज की प्रतिपूर्ति समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाय।
(2) आगामी वित्तीय स्वीकृति के समय प्र०वि० द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार देय कम अंशधन एवं प्याज की वसूली/प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कर ली गयी है, तभी योजना के संचालन एवं फडिंग पर विचार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरन आई०सी०डी०पी० से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।
(4) प्रोजेक्ट अनुमोदन करने वाली पी०सी० की अध्यक्षता वाली समिति से स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिये आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित की जायेगी।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन मद/कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी है, उसी मद/कार्य में व्यय की जायेगी। निर्धारित मद/कार्य से इतर व्यय अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आई०सी०डी०पी० परियोजना के निर्धारित पैटर्न पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में समय पर प्राप्त एवं निर्गत होने वाली शर्तों के अनुरूप ही नियंत्रित होगी।

(7) योजना हेतु निर्धारित ऋण, अंशधन एवं ब्याज की प्रतिपूर्ति समय से सुनिश्चित न होने देवता यदि निर्धारित होती है तो उसके वहन किये जाने का दायित्व विभाग का होगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों में से ऐसे कार्यों का चयन किया जायेगा जिनको प्रश्नगत धनराशि से संतप्त किया जा सके।

(10) धनराशि के व्यय के दौरान योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश/गाइडलाईन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) धनराशि के व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021-बी-1-375-दस2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित निर्देशों के परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारत सरकार को ऋण एवं प्याज की अदायगी एक देनदारी के रूप में की जाती है जबकि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत देय ऋण, अंशधन एवं व्याज की की जाती है राज्य सरकार पर देयता का सृजन होता है परन्तु उसके अनुपात में राजयदेव में वापसी सुनिश्चत नहीं हो पाती है।

(13) आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना/बजट के गठन के समय विभा गय यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी पैक्स समितियों जो देय ऋण, अंशधन एवं ब्याज की वसूली/राजकोष में वापसी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, उन्हें कार्ययोजना से बाहर किया जाय , जिससे राज्य सरकारी पर सृजित हो रहे अनावश्यक व्यय भार से बचा जा सके।

(14) आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना/ बजट में उन्ही पैक्स समितियां को सम्मिलितकिया जाय जो देय ऋण , अंशधन एवं ब्याज की वसूली /राजकोष में वापसी सुनिश्चित कर रही हैं।

(15) आगामी वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्वीकृतियां तभी निर्गत की जायेगी जबकि दिनांक 31.03.2022 तक देय ऋण ,अंशधन एवं ब्याज की वसूली राजकोष मेंवापसी सुनिश्चित कर ली गयी हो।

(16) योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियो को वितरित किये गये ऋण अंशधन एवं निर्धारित की जा रही स्वीकृत धनराशि की अनूमन्यता का आडिट रिपोर्ट दिनांक 31.12.2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान संख्या - 18 के अधीन प्रस्तर -2 में अंकित लेखाशीर्षक यथा 6425-सहकारिता के लिए कर्ज -800-अन्य कर्ज -04 -एकीकृत सहकारी विकास योजाना के अंतर्गत ऋण (एन0सी0डी0सी0 पोषित) -30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-यू0ओ0 ई-2-3449/दस-2022 , दिनांक 22 मार्च, 2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

बी० एस० मीणा
प्रमुख सचिव

संख्या- 6/2022/14914/22(1) 49-3-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक कार्यालय आयुक्त एवं निषधक सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) वेब मास्टर, कार्यालय, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(6) वितृत (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2. उ०प्र० शासन
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन
(8) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ दीपक कोहली
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।